तीन तलाक अध्यादेश के खिलाफ मद्रास होईकोर्ट में याचिका दायर

चैन्नई,, 6 अक्टूबर (ए)। मोदी सरकार द्वारा तत्काल 'तीन तलाक' की कुप्रथा को दंडनीय अपराध बताने वाले एक अध्यादेश के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि यह अध्यादेश संविधान का उल्लंघन करता है। इस अध्यादेश को भेदभावपूर्ण बताया है। हाईकोर्ट के एक वकील हुसैन अफरोज ने इस याचिका को दायर किया है। वो जब सुनवाई के लिए अदालत आए तो जस्टिस एस मणिकुमार और जस्टिस पी टी आशा की पीठ ने केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए वकील को निर्देश लाने को कहा और मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 अक्टूबर की तारीख तय कर दी। याचिकाकर्ता ने मुस्लिम महिला (विवाह के संबंद में अधिकारों के सरंक्षण) के अध्यादेश के उपबंध 4-7 को चुनौती दी है, जिसे 19 सितंबर से लागू किया गया है। याचिकाकर्ता के मुताबिक, यह अध्यादेश कानूनी क्षेत्र से बाहर है और इस अध्यादेश पर अंतरिम निषेधाज्ञा लाने की वकालत की। इससे पहले केरल के मुस्लिम संगठन समस्त केरल जमीयतुल उलमा ने भी इस अध्यादेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।

भाजपा नेता के घर से 37 अवैध रसोई गैस सिलेंडर जब्त

भागलपुर, 6 अक्टूबर (ए)। बिहार के भागलपुर जिले में हबीबपुर थाना क्षेत्र के वारिसलीगंज में अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के जिला उपाध्यक्ष एवं पूर्व पार्षद संतोष कुमार के मकान पर शुक्रवार शाम छापेमारी 37 अवैध रसोई गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। भागलपुर के अनुमंडल पदाधिकारी आशीष नारायण ने बताया कि उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को दिए जाने वाले रसोई गैस सिलेंडर की हेराफरी किए जाने की लगातार सूचना मिल रही थी। इसके आधार पर उनके नेतृत्व में संतोष कुमार के मकान पर छापेमारी की गई। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई में 37 अवैध गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। जब्त सभी सिलेंडर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के नाम पर जारी किए गए हैं। नारायण ने बताया कि इस सिलसिले में गैस एजेंसी के वेंडर बबलू राय को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मामला पुलिस को सौंप दिया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने भाजपा नेता से लंबी पूछताछ की है। मामले की जांच अभी चल रही है।

सबरीमला मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने शुरू किया आंदोलन

तिरुवनंतपुरम, 6 अक्टूबर (ए)। कांग्रेस ने सबरीमला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने वाले उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ पुर्निवचार याचिका दायर करने की मांग करते हुए शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन शुरू किया। फैसले के खिलाफ पुर्निवचार याचिका नहीं दाखिल किए जाने को लेकर एलडीएफ सरकार की आलोचना करते हुए भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन शुरू करने के तुरंत बाद कांग्रेस ने भी प्रदर्शन शुरू किए। पथनमथिट्टा से कांग्रेस के प्रदर्शन की शुरुआत करते हुए विधानसभा में विपक्ष के नेता रमेश चेनीथला ने आरोप लगाया कि आरएसएस-भाजपा और राज्य सरकार हिंदुओं के साथ 'धोखा' कर रही है। केरल में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) के खिलाफ कांग्रेस का रुख सख्त होने के साथ ही चेनीथला ने कहा कि सबरीमला को युद्ध क्षेत्र' में नहीं बदला जाना चाहिए।

आर्थिक स्थिरता के बगैर राजनीतिक स्थिरता हासिल नहीं हो सकती : ममता

कोलकाता, 6 अक्टूबर (ए)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र पर देश की अर्थव्यवस्था को 'बर्बाद' करने का आरोप लगाया और कहा कि आर्थिक स्थिरता के बगैर राजनीतिक स्थिरता हासिल नहीं की जा सकती। उन्होंने शुक्रवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वह राज्य में ''एक राजनीतिक दल की तरह'' व्यवहार कर रहा है। बनर्जी ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था खतरनाक स्थिति में है। देश को बचाने के लिये इसे बदलना होगा। अगर आर्थिक स्थिरता नहीं होगी तब राजनीतिक स्थिरता भी नहीं हो सकती। इस सरकार को जाना चाहिए।' ईंधन के बढ़े दामों के लिये केंद्र पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि राज्यों से कर घटाने के लिये कहने से पहले केंद्र सरकार को पेट्रोल और डीजल पर लगाए गए 10 रूपये के उपकर को वापस लेना चाहिए।

अफगानिस्तान में हवाई हमले के दौरान 14 की मौत, 8 घायल

काबुल, 6 अक्टूबर (ए)। अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में सेना के हवाई हमले में 10 आतंकवादियों और चार नागरिकों की मौत हो गई है जबकि आठ अन्य घायल हो गए। पाकिस्तानी दैनिक अखबार डॉन ने कंधार पुलिस प्रमुख अब्दुल रजीक के हवाले से बताया कि तालिबान आतंकवादियों ने मारुफ जिले के एक गांव में हमला किया, जिसके जवाब में सुरक्षाबलों ने उन पर हवाई हमला किया। आतंकवादियों ने भागने की कोशिश की और इसी दौरान वे वहां आयोजित शादी समारोह में भीड़ में घुस गये। पुलिस प्रमुख ने कहा कि इस हवाई हमले में दस आतंकवादियों समेत चार नागरिकों की जान गयी, जिसमें एक महिला और एक बच्चा भी शामिल हैं।

पाकिस्तान में सीएनजी पंप मालिकों ने लिया दाम बढ़ाने का निर्णय

कराची, 6 अक्टूबर (ए)। पाक में नई सरकार को बने अभी कुछ ही समय हुआ है। नई सरकार के के वजीरे ए आलम इमरान खान को जनकता से भारी बहुमत मिला जिसके बाद पाकिस्तान में उनकी सरकार बनी। सरकार बनने स पहले इमरान खान ने जनता से वादा किया था कि वह देश की अर्थव्यवस्था को सुधारेगे और महगाई पर काबू करेंगे। अपने इस वादे को निभाने के लिए पैट्रोल को सस्ता कर दिया था पर इसके कुछ समय बाद ही गैस के दाम बढ़ा दिए गए थे। अब पाकिस्तान में सीएनजी पॉप मालिकों ने दाम बढ़ाने का निर्णय लिया है तो देश में इसकी कीमत 104 रुपए प्रति किलो तक पहुंच सकती है। पाकिस्तान सीएनजी ओवनरस एसोसिएशन ने सीएनजी की कीमत 98 रुपये प्रति किलो करने की तैयारी की है। एसोसिएशन प्रमुख के मुताबिक दाम आंतरिक सिंध में 100 रुपए प्रति किलो तक हो सकते हैं वहीं जियो न्यूज के मुताबिक देश में सीएनजी की कीमत 104 रुपए प्रति किलो तक जा सकती है। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का कहना है कि सीएनजी के दाम बढ़ने पर उनका बस चलाना मुश्किल हो जाएगा।

महाराष्ट्र सरकार ने बीज कंपनियों पर ठोंका 1200 करोड़ का जुर्माना

मुंबई, 6 अक्टूबर (ए)। कपास की खेती में नुकसान उठाने वाले किसानों को महाराष्ट्र सरकार अब बीज कंपनियों से मुआवजा दिलवाएगी। ऐसी 60 कंपनियों को करीब 1200 करोड़ रुपये मुआवजा देने के निर्देश राज्य सरकार के कृषि आयुक्त कार्यालय ने दिए हैं। देश में यह पहला अवसर है जब किसानों को हुए नुकसान के मुआवजे में बीज कंपनियों को भी भागीदार बनाया जा रहा है।

किसानों को यह नुकसान बीटी काटन के बीज का उपयोग करने से हुआ है। महाराष्ट्र के 29 जिलों में 42 लाख हेक्टेअर में कपास की खेती करनेवाले करीब 55 लाख किसानों को पिछले साल नुकसान उठाना पड़ा। इनकी फसलों को पिंक बॉलवार्म नामक कीट ने भारी नुकसान पहुंचाया। इस नुकसान का जिम्मेदार बीज को मानते हुए करीब 14 लाख किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की थी।

महाराष्ट्र काटन सीड्स (बिक्री, आपूर्ति, वितरण एवं विक्रय मूल्य) अधिनियम, 2009 के अनुसार यदि कोई किसान बीज के कारण हुए नुकसान की शिकायत करता है, तो सरकार दोनों पक्षों के विचार जानकर फैसला सुनाने के लिए एक समिति का गठन कर सकती है। इतने बड़े पैमाने पर किसानों से शिकायत मिलने के बाद इसी अधिनियम के तहत राज्य सरकार के कृषि आयुक्त ने किसानों की शिकायतें सुनने का फैसला किया। इस कड़ी में अब तक करीब 10 लाख किसानों की शिकायतें सुनी जा चुकी हैं। किसानों की सुनवाई के बाद सरकार ने किसानों को मुआवजा देने के लिए तीन तरीके अपनाए हैं। पहला, फसल बीमा योजना से। दूसरा, राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से। और तीसरा, किसानों को बीज आपूर्ति करनेवाली कंपनियों से। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि देश में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर न सिर्फ किसानों की सुनवाई की गई है, बल्कि किसानों को हुए नुकसान के लिए बीज कंपनियों को नोटिस भी भेजा गया है। कृषि आयुक्त ने बीज कंपनियों को जवाब देने के लिए एक माह का समय दिया है। हालांकि बीज कंपनियां सरकार के आदेश को न्यायालय में चुनौती दे सकती हैं। इससे उनकी ओर से मिलनेवाले मुआवजे में देरी हो सकती है। बीज आपूर्ति करनेवाली 60 कंपनियों में मानसेंटो जैसी बड़ी कंपनी भी शामिल है। इसके बावजूद पहली बार सरकार बिना किसी दबाव के इन कंपनियों पर कार्रवाई करने का मन बनाती दिखाई दे रही है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं उससे जुड़े किसान संगठन काफी पहले से मानसेंटो जैसी बीज कंपनियों का विरोध करते रहे हैं।

अयोध्या की विवादित भूमि वास्तव में बौद्ध तीर्थ स्थल है : रामदास अठावले

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर (ए)। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने दावा किया है कि अयोध्या में विवादित भूमि असल में एक बौद्ध धर्मस्थल है। अठावले ने हिंदू और मुसलमानों से अयोध्या की विवादित भूमि के लिए लड़ाई न करने और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करने की अपील की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर लिखी गई एक किताब मुसलमान और योगी आदित्यनाथ के विमोचन के मौके पर अठावले ने यह बात कही। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कुछ मुसलमानो को गोरक्षा के नाम पर अत्याचार का सामना करना पड़ा।

हमारे सहयोगी टाइम्स नाऊ की मानें तो उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों को गाय की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए क्योंकि गाय हिंदुओं के लिए आस्था का प्रतीक है। अठावले ने कहा, मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद कई मुसलमानों को गोरक्षा के नाम पर अत्याचार का सामना करना पड़ा, लेकिन मुस्लिमों को भी गो रक्षा का प्रयास करना चाहिए क्योंकि यह हिंदुओं के लिए आस्था का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि मोदी और आदित्यनाथ मुस्लिम विरोधी नहीं हैं, इसका उदाहरण पीएम के सबका साथ सबका विकास नारे में सामने आता है। केंद्रीय राज्य सामाजिक न्याय मंत्री ने इस बयान से एक और विवाद को जन्म दे दिया है। हाल ही में उन्होंने कहा था कि वह बढ़ते पेट्रोल के रेट को लेकर चिंतित नहीं हैं क्योंकि वह खुद एक केंद्रीय मंत्री हैं। इसके बाद उन्होंने अपने बयान के लिए माफी मांगी और कहा कि उनका आम आदमी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। बता दें कि विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। परिषद के नेता इसे अंतिम युद्ध का नाम ले रहे हैं। राम जन्मभूमि न्यास के प्रमुख महंत नृत्य गोपालदास ने एक प्रस्ताव पास किया है। इस प्रस्ताव में संसद में ऑर्डिनेंस पास कर अयोध्या में विवादित भूमि पर राम मंदिर का रास्ता बनाने का रास्ता साफ करने का कहा है।

आईआरसीटीसी मामले में लालू प्रसाद के परिवार को बड़ी राहत, जमानत मिली

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर (ए)। दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को राजद प्रमुख लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव व अन्य को इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) घोटाले में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में जमानत दे दी। विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने कथित घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धन शोधन के एक मामले में राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य को 19 नवंबर तक अंतरिम जमानत दे दी। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और ईडी द्वारा दर्ज मामलों में प्रसाद को 19 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश किया जाए। अदालत ने राबड़ी देवी और तेजस्वी को सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में एक लाख रूपये के निजी मुचलके और इतनी ही रकम की जमानत राशि पर जमानत दी। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर मामले में नियमित जमानत नहीं दी गई क्योंकि एजेंसी ने जमानत के आवेदन पर जवाब दायर करने के लिये समय मांगा है। अदालत ने इससे पहले प्रसाद को छोड़कर सीबीआई द्वारा दायर मामले में आरोपियों को 31 अगस्त से आज तक की अंतरिम जमानत दी थी। एजेंसी ने तब जवाब दायर करने के लिये आज तक का वक्त मांगा था। इससे पहले अदालत ने प्रसाद के परिवार और मामले से संबंधित सभी अन्य को पेश होने के लिये समन जारी किया था। यह मामला आईआरसीटीसी के दो होटलों को चलाने का ठेका एक निजी फर्म को देने में कथित अनियमितता से संबंधित है।

कोई भी नागरिक संवैधानिक नैतिकता से वंचित नहीं हो सकता : दीपक मिश्रा

नयी दिल्ली, 6 अक्टूबर (ए)। भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने शुक्रवार को कहा कि किसी व्यक्ति को, संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत से वंचित नहीं किया जा सकता। उन्होंने साथ ही सहिष्णुता, स्वीकार्यता एवं दूसरे के रूख का सम्मान करने के विचार को बढ़ावा देने की मजबूती से वकालत की। दो अक्टूबर को पद छोड़ने वाले न्यायमूर्ति मिश्रा ने साथ ही सवाल किया कि जब कानून का शासन है और एक मजबूत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका है तब कोई कैसे नैतिकता की पहरेदारी कर सकता है। उन्होंने यह टिप्पणी नैतिकता की पहरेदारी से जुड़ी घटनाओं में हुई बढ़ोतरी के आलोक में की। राजनीति के अपराधीकरण, व्यभिचार, समलैंगिकता, भीड़ द्वारा पीट पीटकर की जा रही हत्या और सबरीमला सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसले सुनाने वाली पीठों का नेतृत्व करने वाले पूर्व प्रधान

न्यायाधीश ने कहा कि संवैधानिक संप्रभुता सर्वोपरि है और भारत की एक मजबूत स्वतंत्र न्यायपालिका है जो कानून के शासन से शासित होती है। न्यायमूर्ति मिश्रा हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा आयोजित 'लीडरशिप समिट' कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सबरीमला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश को मंजूरी देने से जुड़े उच्चतम न्यायालय के फैसले को लेकर कहा, ''हमने संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा की शुरूआत की और हमने कहा कि यह नैतिकता संविधान द्वारा विकसित की गयी नैतिकता है।

न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा, ''मुझे खुशी है कि मुझे लैंगिक न्याय के योद्धा के रूप में पेश किया जा रहा है। आप किसी खास धर्म की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने से नहीं रोक सकते। महिलाओं का सम्मान करना होगा और वे पुरूषों के जीवन में बराबर की भागीदार हैं।'' उन्होंने कहा कि इसलिए ''आप महिलाओं को (मंदिर से) दूर नहीं रख सकते।'' संसद से भीड़ द्वारा पीट पीटकर कर की जाने वाली हत्या को लेकर कानून बनाने की सिफारिश करने वाली पीठ की अध्यक्षता करने वाले न्यायमूर्ति मिश्रा ने सवाल किया कि कैसे कोई पुरूष या समूह नैतिकता की पहरेदारी कर सकता है उन्होंने समाज से ''सहिष्णुता के विचार को बढ़ावा देने एवं दूसरों के रूख का सम्मान करने'' की अपील की। उन्होंने राष्ट्र के विभिन्न अंगों द्वारा शक्तियों के बंटवारे की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि न्यायालय कानून नहीं बनाते और कानून बनाना विधायिका का काम है। न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि भारत के नागरिक के रूप में किसी को भी यह नहीं महसूस होना चाहिए कि संविधान उससे दूर है या वह इसका हिस्सा नहीं है और किसी भी नागरिक को इस अवधारणा से वंचित नहीं किया जा सकता है।

चार साल पुराने विवादित बयान में फंसे रामदेव

हिसार, 6 अक्टूबर (ए)। दलितों पर कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में हिसार के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार जैन की अदालत ने योग गुरु बाबा रामदेव को आगामी 22 अक्टूबर को अदालत में पेश होकर अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया है। अदालत ने बाबा रामदेव को यह नोटिस शिकायतकर्ता अधिवक्ता रजत कल्सन की रिवीजन याचिका पर कल सुनवाई करते हुए जारी किए।

शिकायतकर्ता एवं दलित राइट्स एक्टिविस्ट एडवोकेट रजत कल्सन ने बताया कि गत 26 अप्रैल 2014 को बाबा रामदेव ने लखनऊ

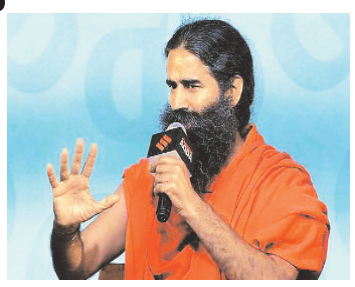

में प्रेस सम्मेलन में यह टिप्पणी की थी। उन्होंने इस बारे में हांसी की ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की अदालत में एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे खारिज किया गया था। उसके खिलाफ उन्होंने हिसार की सत्र अदालत में रिवीजन याचिका दाखिल की, जिस पर हिसार के अतिरिक्त सत्र व जिला न्यायाधीश राजकुमार जैन ने बाबा रामदेव को नोटिस किया है। अधिवक्ता रजत कल्सन ने आरोप लगाया कि बाबा रामदेव के समर्थकों ने पत्र लिखकर मुकदमा वापिस न लेने पर जान से मारने की धमकी दी थी। बाबा रामदेव की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी यह थी देखो भाई मोदी और बाबा रामदेव मजबूरी में फकीर नहीं बने राहुल गांधी की तरह, और बेचारे की किस्मत ही खराब है कि उसे कोई लड़की ही नहीं मिल रही और उसकी मम्मी कहती है कि मेरा मुन्ना तूने विदेशी लड़की से ब्याह करवा लिया तो तू प्रधानमंत्री नहीं बनेगा और देसी से वो करवाना नहीं चाहता। मम्मी चाहती है कि पहले वो प्रधानमंत्री बन जाए फिर विदेशी लड़की को लाये और यह लड़का है जो देसी से शादी नहीं करवाना चाहता। हनीमून करने के लिए पिकनिक करने के लिए जरूर दलितों के घरों में जाता है।

सुप्रीम कोर्ट का केजरीवाल को झटका, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने से किया इंकार

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर (ए)। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिये दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि संविधान पीठ के फैसले के बाद इस पर सुनवाई जरूरी नहीं है। संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा था कि दिल्ली को एक राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ के समक्ष यह मामला आने पर याचिककर्ता के वकील ने पांच सदस्यीय संविधान पीठ के चार जुलाई के फैसले का हवाला दिया। पीठ ने याचिका खारिज करते हुये कहा कि यह निरर्थक हो गयी है। न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 239एए और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कानून 1991 को असंवैधानिक घोषित करने के लिये दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में इस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुये कहा गया था कि भारत का कोई भी क्षेत्र पूर्ण राज्य या फिर केन्द्र शासित क्षेत्र ही हो सकता है। इसमें कहा गया था कि दिल्ली के लिये मौजूदा सांविधानिक व्यवस्था ही राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासन के कुप्रबंधन के लिये जिम्मेदार है और वायु प्रदूषण, यातायात अवरूद्ध होने की परेशानी, पानी का जमाव और अनधिकृत निर्माण आदि इसी का नतीजा हैं।

पाकिस्तान ने लाहौर में भारतीय उच्चायुक्त का भाषण रद्द किया

लाहौर, 6 अक्टूबर (ए)। पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया का निर्धारित भाषण अंतिम क्षणों में रद्द कर दिया। विदेश मंत्रालय से पूर्वानुमति नहीं लेने पर बिसारिया का भाषण रद्द कर दिया गया। बिसारिया को गुरुवार को लाहौर के नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी (एनएसपीपी) में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था। प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने वाला यह संस्थान अकादमिक विद्वानों, पेशेवरों और गणमान्यअतिथियों को नियमित रूप से अतिथि भाषण के लिए आमंत्रित करता है। अधिकारी ने कहा, 'लाहौर के एनएसपीपी ने बिसारिया को चार अक्टूबर को अतिथि भाषण के लिए आमंत्रित किया था लेकिन भारतीय उच्चायोग को बाद में बताया गया कि उनका

भाषण रद्द कर दिया गया है। आयोग को उनके भाषण के नए कार्यक्रम की सूचना दे दी जाएगी।' सूत्रों ने बताया कि एनएसपीपी प्रबंधन को ऊपर से आदेश मिलने के बाद बिसारिया का भाषण रद्द करना पड़ा। अधिकारी ने कहा, 'प्रबंधन को बताया गया कि किसी भी राजदूत को अतिथि भाषण के लिए आमंत्रित करने के मामले में विदेश मंत्रालय से कम से कम मंजूरी ले ली जाए।' इससे पहले बिसारिया को हसन अब्दल में गुरुद्वारा पंजा साहिब नहीं जाने दिया गया था। पाकिस्तान सरकार ने दावा किया था कि बिसारिया को सुरक्षा कारणों से गुरुद्वारा जाने से इसलिए रोक दिया गया था क्योंकि भारत के सिख यात्री उनसे मिलना नहीं चाहते थे। वर्ष 2016 में पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों द्वारा हमला करने और भारत द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद दोनों देशों के रिश्ते तनावपूर्ण हो गए हैं। पिछले ही महीने भारत ने जम्मू कश्मीर में तीन पुलिसकर्मियों की नृशंस हत्या और पाकिस्तान द्वारा बुरहान वानी का महिमामंडन करते हुए डाक टिकट जारी करने का हवाला देते हुए न्यूयार्क में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत स्थगित कर दी थी। पाकिस्तान ने गुरुवार को कहा था कि सिख श्रद्धालुओं के लिए करतारपुर सीमा को खोलना दोनों देशों के बीच वार्ता की शुरुआत से जुड़ा है।